


5/7/12 पत्रावली कानून शासक केंद्र कोर्ट
में केवल में पेश हुई चूंकि ब्रह्मचर्य
में निर्णय किया जा चुका है। कब
इस आवेदन में कानून को 4 दिवसी
का कोई भी अधिक नहीं रहा। अतः
इस आवेदन में कानून को कानून
इसी स्तर पर समाप्त की जाकर अपील
द्वारा जारी खगल कोर्ट दि 23-12-11
को निरस्त किया जाता है। पत्रावली
के लिये शुभारंभ होकर दायित्व अंतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहदन